सरकूलर नं0 अपमा/2014–2016/392 दिनांकः 26–11–2016

अपमा की 48वीं वार्षिक साधारण सभा के सन्दर्भ में

आदरणीय सदस्यगण,

जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि अपमा की 48वीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को अपराहन् 3.00 बजे अपमा कार्यालय, 10, प्रथम तल, वरदान हाउस, चाबी गंज, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006 में आयोजित होने जा रही है।

साधारण सभा में सदस्य फर्म का नोमीनी ही केवल भाग ले सकता है एवं वार्षिक साधारण सभा में प्रवेश हेतु आपको अपना फोटो पहचान पत्र (जैसे–सदस्यता आई.डी.कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स का पेन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड) अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। बिना पहचान पत्र के वार्षिक साधारण सभा में प्रवेश नहीं होगा।

साथियों, इस वार्षिक साधारण सभा में चुनाव आयुक्त 2016–2018 के लिए निर्वाचित हुए प्रधान एवं कार्यकारिणी के 20 सदस्यों की घोषणा की जायेगी। इस सभा का मुख्य एजेण्डा सत्र 2016–2018 के लिए नवनिर्वाचित टीम को उनके पद की शपथ दिलाकर कार्यभार सौंपना है। इसके अलावा साधारण सभा में संस्था के गत वर्ष के लेखा–जोखा एवं कार्यो का मूल्यांकन कर आगामी वर्ष की कार्य योजना हेतु नीति निर्धारित की जाती है तथा संस्था को सक्रियता व ठोस आधार देते हुए सुचारू रूप से संचालन हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं। आप भलीभांति जानते हैं कि सदस्य ही संस्था की नींव होते है और सदस्यों के द्वारा ही अहम् फैसले लिये जाते है, जिसके कारण आपकी उपस्थिति आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है।

अतः आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि आप अपनी संस्था की इस साधारण सभा में अवश्य पधारें और अपने ठोस एवं सार्थक सुझावों से सभा को सफल बनायें।

(आर.के. गुप्ता)
महासचिव